

न्यायालय अपर समाहर्ता, खूँटी।

In The Court of Additional Collector, Khunti

अनुसूची - 14 फार्म नं० 562
Schedule - Form No. 562


आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129
Record Manual 1941 Rule 129

कारिबन खरिब खीषा वाद सं० 06R15 वर्ष 2012 धारा.....
Case No..... Year..... Section.....
अपीलकर्ता / प्र० प०/आवेदक प्रतिवादी /दि०प०/विपक्षी
Appellant / F.P./Petitioner ईशा खान वनाय परशुराम दाकुर Respondent / S.P./O.P.

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
04.06.12 13.6.12	<p>आवेदक ईशा खान के स्व० ईशाक खान एवं मुसा खान के स्व० ईशाक खान दोनों साबिन-मुसू घाना- मुसू जिला खूँटी ने भूमि सुधार उप- समाहर्ता खूँटी के द्वारा विवेध वाद संख्या-02/09-10 में दिनांक-05-05-12 को चारित आदेश के विरुद्ध द्वार प्रिया गया है। कारिका के वि० पर सुनवाई हेतु अगले 2 व दिनांक 13.6.12 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">De 12/6</p>	
13.06.12	<p>आवेदक के स्व० सदस्य द्वारा उपरिचि दी गयी है-अपर समाहर्ता अन्य कार्य</p>	

आदेश क्रमांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश क्रमांक Order No./Date
01-1-20	<p>अभिलेख उपस्थापित सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक-332/शो दिनांक-24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रित है।</p> <p>The Bihar Tenants Holding (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है अतः कि Additional collector अथवा Deputy collector को है।</p> <p>अतः उक्त नियम 1 धारा के अन्तर्गत में संग्रहीत कारवाई/सुनवाई हेतु अभिलेख उपायुक्त द्वारा के आभास में हस्तांतरित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अपर सहायक सचिव। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित) अभिलेख अपर सहायक सचिव के आभास में हैं हस्तांतरित हेतु उपर है। अभिलेख पर असेबल कारवाई हेतु नद पंजी में अंतिम उर पत्रांक के द्वारा किया है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख संचालक के रूप में</p>	